न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 16/38

1. श्रीमती प्रेमबाई पत्नी स्व0 श्री नाथू लाल आयु 60 वर्ष जाति लश्करी ।
2. मनमोहन पुत्र स्व0 नाथूलाल आयु 35 वर्ष जाति लश्करी निवासीगण ग्राम लाडपुरा कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा कायममुकामान (मृतक नाथूलाल) ।

——अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा जिला कोटा ।
2. नगरपालिका कैथून जरिये अध्यक्ष नगरपालिका, कैथून

——रेस्पोडेन्ट

उपस्थित :— 1. श्री अतुल वशिष्ठ, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री रामबाबू मालव, राजकीय अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 1 की ओर से ।
3. श्री अजय नन्दवाना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट क्रम 2 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः 03.01.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2013 न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा जिला, कोटा के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट मृतक नाथू लाल ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 89 एंव 91 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर पुराना 1042 की रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1061 की रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा कुल दो किता रकबा 42 बीघा 06 बिस्वा भूमि स्थित है । उक्त भूमि के खातेदार वादी की माता रूकमा पुत्री हीरा जाति लश्करी थी तथा वह ही उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करती चली आ रही थी । सेटलमेंट ने उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 786 रकबा 2.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 789 की रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 793 की 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 795 की रकबा 1.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 792 की रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 794 की रकबा 0.68 हैक्टर कुल 06 किता रकबा 5.54 हैक्टर भूमि को वादी की माता के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया । सेटलमेंट विभाग

पूर्व रकबा 42 बीघा 06 बिस्वा के स्थान पर नया रकबा 5.54 हैक्टर डालकर पूर्व रकबे से 1. हैक्टर भमि कर कर दी गई जिसका रकबा कम करने का कोई हक व अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं है केवल मात्र सेटलमेंट विभाग पूर्व की स्थिति अनुसार ही रकबा निश्चित कर सकता है । सेटलमेंट विभाग द्वारा कम की गई भूमि का नया खसरा नम्बर 791 रकबा 1.90 डालकर उसमें सम्मिलित कर दिया जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 791 में मिलाकर सिवायचक दर्ज कर दी । वादी की बहिनें कमला बाई एवं गुड्डी बाई ने अपना –अपना हिस्सा वादी नाथू लाल के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड से दिनांक 03.01.2005 को त्याग कर दिया है । इस प्रकार उक्त भूमि का एकमात्र मालिक खातेदार वादी रहा है । वादी अपने खाते की भूमि में से कम की गई भूमि को अपने नाम खातेदारी में दर्ज करवाने का अधिकारी है ।

3. अतः वादी को उसके खाते में से सेटलमेंट विभाग द्वारा कम की गई भूमि 1.24 हैक्टर भूमि आराजी खसरा नम्बर 791 रकबा 1.90 हैक्टर भूमि में से कम करते हुए वादी को खातेदार घोषित करते हुए उक्त भूमि वादी के नाम खातेदारी में दर्ज की जावे तथा वादी को रकबा 5.54 हैक्टर के स्थान पर 6.78 भूमि का खातेदार घोषित करते हुए उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह आराजी खसरा नम्बर 791 रकबा 1.90 हैक्टर में से 1.24 हैक्टर भूमि को वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31.10.2013 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 31.10.2013 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 31.10.2013 निरस्त करने का निवेदन किया ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट के पति मृतक नाथूलाल ने अपनी ओर से पैरवी करने हेतु अभिभाषक को नियुक्त किया हुआ था और उनके अभिभाषक द्वारा प्रत्येक तारीख पेशी पर उपस्थित होने के लिए मना कर दिया और आवश्यकता होने पर सूचित करने के लिए कहा था परन्तु उनकी ओर से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई । उसी दौरान वादी नाथू लाल की दिनांक 22.07.2015 को मृत्यु हो गई । इसलिए उक्त अपीलाधीन निर्णय की अपीलान्ट को कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई । उक्त निर्णय एंव डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 06.01.2016 को अपने अभिभाषक से सम्पर्क करने पर हुई जिस पर उक्त आदेश की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में प्रस्तुत की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि सेटलमेंट ने उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 786 रकबा 2.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 789 की रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 793 की 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 795

1.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 792 की रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 794 की रकबा 0 हैक्टर कुल 06 किता रकबा 5.54 हैक्टर भूमि को वादी की माता के नाम खातेदारी में दर्ज क । सेटलमेंट विभाग द्वारा पूर्व रकबा 42 बीघा 06 बिस्वा के स्थान पर नया रकबा 5.54 हैक्ट डालकर पूर्व रकबे से 1.24 हैक्टर भमि कर कर दी गई जिसका रकबा कम करने का कोई हक अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं है केवल मात्र सेटलमेंट विभाग पूर्व की स्थिति अनुसार ह रकबा निश्चित कर सकता है । सेटलमेंट विभाग द्वारा कम की गई भूमि का नया खसरा नम्ब 791 रकबा 1.90 डालकर उसमें सम्मिलित कर दिया जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिका प्राप्त नहीं है । वादी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 791 में मिलाकर सिवायचक दर्ज कर दी । मौक पर अपीलान्ट का सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा काश्त है । सेटलमेंट विभाग को रकबे की कमीबेश करने या रिकॉर्ड में फेरबदल करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलान्ट की आराजी के पास ही आराजी खसरा नम्बर 791 रकबा 1.90 हैक्टर भूमि सिवायचक राजस्व रिकॉ में दर्ज है जिस पर भी अपीलान्ट का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है और अपीलान्ट की कम की गई भूमि आराजी खसरा नम्बर 791 में मिला दिया गया है । जबकि आराजी खसरा नम्बर 79 पूर्व खसरा नम्बर 1061/1395 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा से बना है और उक्त आराजी खसर नम्बर 791 वर्तमान में 1.90 हैक्टर यानि 11.875 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिससे साबित है कि अपीलान्ट के खाते की भूमि आराजी खसरा नम्बर 791 में मिला दी गई और आराजी खसरा नम्बर 791 से 1.24 हैक्टर भूमि कम करते हुए अपीलान्ट का रकबा पूरा किय जावे । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एंव डिक्री पारित की है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2013 निरस्त फरमाया जावे ।

9. रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 के लायक अधिवक्ता ने अपनी लिखित एवं मौखिक बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 791 के पूर्व खसरा नम्बर 1061/1365 से बना है जो मुताबिक मिलान क्षेत्रफल से साबित है । उक्त खसरा नम्बर किसके खाते दर्ज था । वादी द्वारा कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया और वादी आराजी खसरा नम्बर 791 का रकबा 1.90 हैक्टर है जबकि वादी 1.24 हैक्टर रकबे की पूर्ति इस खसरा नम्बर से करवाना चाहता है । वह भी इस आधार पर ही आराजी खसरा नम्बर 791 का रकबा उसके पूर्व खसरा नम्बर के रकबे से बनाया गया है । ऐसी स्थिति में वादी अपीलान्ट अपना वाद सिद्ध नहीं होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय पारित किया है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील विलम्ब से पेश की है और विलम्ब के कोई संतोषप्रद कारण दर्शित नहीं किये हैं । अतः अपील अवधि बाधित होने से भी निरस्तनीय है । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 2011 (2) आरआरटी पेज 85, 2007 (2) आर.आर.टी. पेज 939, 2013 (2) आरआरटी पेज 887 आदि न्यायिक दृष्टांत पेश किये । प्रस्तुत अपील में आराजी खसरा नम्बर 791 की रकबा 1.90 हैक्टर भूमि में से सहायता चाही गई है ।उक्त खसरा नम्बर राजस्व रिकॉर्ड में सिवाय चक दर्ज है एवे अपीलान्ट द्वारा अपने अपील मीमो के पेज नम्बर 02 पर पैरा नम्बर 04 में भी यह अंकित किया है कि अपीलान्ट की उक्त आराजी के समीप ही आराजी खसरा नम्बर 791 स्थित है और उक्त आराजी खसरा नम्बर पर काबिज काश्त करता चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का उक्त आराजी खसरा नम्बर पर कब्जा मान भी लिया जावे तो अपीलान्ट की हैसियत केवल मात्र एक अतिक्रमी की है और वैधानिक रूप से अतिक्रमी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का वाद या अपील प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं है । उक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई हित निहित अधिकार नहीं है । जिला कलक्टर कोटा द्वारा अपने आदेश दिनांक 12.10.2012 द्वारा आदेश जारी किया गया था जिसमें तहसीलदार, लाडपुरा के प्रस्ताव एवं अभिशंषा के अनुसारण में नगरपालिका कैथून की निकाय सीमा में स्थित तहसील लाडपुरा के ग्राम कैथून की सिवायचक भूमियॉ राजकीय प्रयोजनार्थ राजस्व विभाग जयपुर की अधिसूचना दिनांक 02.06.2009 के अनुसार

भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 की सपठित धारा 102–ए के अन्तर्गत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित कर नगर पालिका कैथून को हस्तान्तरित की गई थी जिसमें आराजी खसरा नम्बर 791 की 1.90 हैक्टर भूमि को भी हस्तान्तरित किया गया था । उक्त हस्तान्तरण के पश्चात् उक्त भूमि नगरपालिका कैथून के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कर दी गई है । इसके पश्चात् श्रीमान् निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग जयपुर के पत्र क्रमांक 274–367 दिनांक 21.02.2017 द्वारा प्रत्येक नगरीय निकाय मुख्यालय पर फायर स्टेशन निर्माण का निर्णय लिया गया है और उक्त निर्णय के अनुसार दिनांक 23.05.2017 को नगर पालिका कैथून द्वारा खसरा नम्बर 791 की भूमि पर फायर स्टेशन निर्माण का प्रस्ताव लिया गया है । उक्त प्रस्ताव लिये जाने के पश्चात् उक्त भूमि पर नगर पालिका कैथून द्वारा आवेदकों से टेण्डर मांगे गये हैं और टेण्डर होने के पश्चात् उक्त भूमि पर फायर स्टेशन का निर्माण कार्य आदेश जारी कर दिया गया है तथा सम्बन्धित फर्म द्वारा उक्त भूमि पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है । इस प्रकार उक्त भूमि राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका कैथून को आवंटित कर दी है । अपीलान्ट एक मात्र रूप से ट्रेस पासर और अतिक्रमी को नियमितिकरण के लिए विधिक अधिकार नहीं है । उक्त भूमि नगर पालिका कैथून को हस्तान्तरण किये जाने के पश्चात् उक्त आदेश का अमल दरामद हो चुका है वर्तमान में उक्त भूमि नगर पालिका कैथून के नाम रिकॉर्ड में दर्ज है जब तक उक्त कार्यालय आदेश निरस्त नहीं हो जाता तब तक उक्त आदेश के विरूद्ध किसी भी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया जा सकता । इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नहीं की है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2013 बहाल रखा जावे ।

10. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना का अवलोकन किया एंव उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । **ए.आई.आर. 1998 (एस.सी.) पृष्ठ संख्या 3222** बालकृष्ण बनाम कृष्णामूर्ति के प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिमत दिया है कि पर्याप्त कारण दिये हैं तो विलम्ब को क्षम्य कर देना चाहिए । माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त निर्णय के पैरा संख्या 11 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि मियाद अधिनियम एक प्रक्रियात्मक विधि है जिसे प्रकरण के गुणावगुण को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाना चाहिए और अधिवक्ता की गलती या पक्षकार की मजबूरी के कारण यदि कोई विलम्ब हुआ है तो उसको उपसमन करते हुए प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण के आधार किया जाना चाहिए । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत भारतीय मियाद अधिनियम की धारा 05 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ।

11. न्यायालय हाजा में पेश फर्द दस्तावेज के साथ प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत् 2023 से 2026 के अनुसार ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर पुराना 1042 की रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1061 की रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा कुल दो किता रकबा 42 बीघा 06 बिस्वा भूमि हीरा पुत्र कान्हा जाति लश्करी के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2035 से 2038 के अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी मु0 कंवरी बेवा हीरा, रूकमा पुत्री हीरा के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल जमाबन्दी संवत् 2061 से 2064 के अनुसार उक्त आराजी हाल खसरा नम्बर 786 रकबा 2.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 789 रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 793 रकबा 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 795 रकबा 1.19 हैक्टर कुल 04 किता की रकबा 4.35 हैक्टर भूमि रूकमा पुत्री हीरा कौम लश्करी के नाम खातेदारी में दर्ज है । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1061 मिन के हाल खसरा नम्बर 794 रकबा 0.68 हैक्टर, साबिक खसरा नम्बर 1061 मिन के हाल खसरा नम्बर 795 रकबा

क्टर, साबिक खसरा नम्बर 1042 रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा के हाल खसरा नम्बर 786 2.82 हैक्टर, साबिक खसरा नम्बर 1061 मिन रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा के हाल खसरा र 789 रकबा 0.23 हैक्टर, एवं साबिक खसरा नम्बर 1061 मिन के हाल खसरा नम्बर 792 कबा 0.51 हैक्टर एंव खसरा नम्बर 793 रकबा 0.11 हैक्टर कायम किये हैं । नकल मिलान क्षेत्रफल संवत् 2038 से 2057 के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 1060 मिन के हाल खसरा नम्बर 790 रकबा 0.28 हैक्टर एवं साबिक खसरा नम्बर 1061/1395 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा भूमि के हाल खसरा नम्बर 791 रकबा 1.90 हैक्टर कायम किये हैं ।

12. प्रस्तुत प्रकरण में राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर साबित पाया जाता है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर पुराना 1042 की रकबा 21 बीघा 08 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1061 की रकबा 20 बीघा 18 बिस्वा कुल दो किता रकबा 42 बीघा 06 बिस्वा भूमि हीरा पुत्र कान्हा जाति लश्करी के नाम खातेदारी में दर्ज थी । सेटलमेंट विभाग ने वादग्रस्त आराजी के नये खसरा नम्बर 786 रकबा 2.82 हैक्टर, खसरा नम्बर 789 की रकबा 0.23 हैक्टर, खसरा नम्बर 793 की 0.11 हैक्टर, खसरा नम्बर 795 की रकबा 1.19 हैक्टर, खसरा नम्बर 792 की रकबा 0.51 हैक्टर, खसरा नम्बर 794 की रकबा 0.69 हक्टर कुल 06 किता रकबा 5.54 हैक्टर भूमि को वादी अपीलान्ट की माता रूकमा के नाम खातेदारी में दर्ज कर दिया । इस प्रकार सेटलमेंट विभाग द्वारा पूर्व रकबा 42 बीघा 06 बिस्वा के स्थान पर नया रकबा 5.54 हैक्टर डालकर पूर्व रकबे से 1.24 हैक्टर भूमि कर कर दी गई जिसका रकबा कम करने का कोई हक व अधिकार सेटलमेंट विभाग को नहीं है केवल मात्र सेटलमेंट विभाग पूर्व की स्थिति अनुसार ही रकबा इन्द्राज कर सकता है उसे पूर्व इन्द्राज में फेरबदल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है ।

13. सेटलमेंट विभाग द्वारा कम की गई भूमि का नया खसरा नम्बर 791 रकबा 1.90 डालकर उसमें सम्मिलित कर दिया जिसका सेटलमेंट विभाग को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी की उक्त भूमि खसरा नम्बर 791 में मिलाकर सिवायचक दर्ज कर दी । मौके पर अपीलान्ट का सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा काश्त है । सेटलमेंट विभाग को रकबे की कमीबेशी करने या रिकॉर्ड में फेरबदल करने का कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है । अपीलान्ट की आराजी के पास ही आराजी खसरा नम्बर 791 रकबा 1.90 हैक्टर भूमि सिवायचक राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है । अपीलान्ट की कम की गई भूमि आराजी खसरा नम्बर 791 में मिला दी गई । जबकि आराजी खसरा नम्बर 791 पूर्व खसरा नम्बर 1061/1395 रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा से बना है और उक्त आराजी खसरा नम्बर 791 वर्तमान में 1.90 हैक्टर यानि 11.875 बीघा भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिससे साबित है कि अपीलान्ट के खाते की भूमि आराजी खसरा नम्बर 791 में मिला दी गई । प्रस्तुत प्रकरण में तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में भी आराजी खसरा नम्बर 791 का रकबा 1.90 अंकित होना उल्लेखित किया है जिससे साबित है कि उक्त भूमि का रकबा सिवायचक में बढाया गया है । चूँकि आराजी खसरा नम्बर 791 रकबा 1.90 हैक्टर वर्तमान में नगरपालिका कैथून के नाम खातेदारी में दर्ज है । जिसमें बढी हुई भूमि रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा अपीलान्ट को पूर्ति करते हुए नगरपालिका कैथून के नाम से हटाकर अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

14. प्रस्तुत प्रकरण में आराजी खसरा नम्बर 1061/1395 का रकबा 06 बीघा 11 बिस्वा था जिसे सेटलमेंट विभाग ने साबिक खसरा नम्बर 1061/1395 का हाल खसरा नम्बर 791 रकबा 1.90 हैक्टर अर्थात् 11.875 बीघा भूमि दर्ज कर दी है जो लगभग 05 बीघा 06 बिस्वा अधिक दर्ज कर दी । इस प्रकार अपीलान्ट की भूमि उक्त खसरा नम्बर 791 में दर्ज कर दी है । इस प्रकार अपीलान्ट अपने कर्मी पूर्ति आराजी खसरा नम्बर 791 में बढाए गये रकबे अर्थात् 06 बीघा 11 बिस्वा से अधिक रकबा जो लगभग 05 बीघा 06 बिस्वा होता है सेटलमेंट विभाग द्वारा बिना किसी

के सिवायचक खसरा नम्बर 791 में बढा दिया है में से पूर्ति कराने का अधिकारी है । कार अपीलान्ट के कमी रकबे की पूर्ति आराजी खसरा नम्बर 791 रकबा 1.90 हैक्टर में से रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा का 0.84 हैक्टर भूमि अपीलान्ट की कमी पूर्ति में दिये जाने का आदेश पारित किया जाना हम न्यायहित में उचित समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 31.10.2013 निरस्त किया जाता है । वादी अपीलान्ट को ग्राम कैथून तहसील लाडपुरा जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 791 रकबा 1.90 हैक्टर में से रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा यानि 0.84 हैक्टर भूमि की पूर्ति अपीलान्ट को की जाकर उक्त भूमि नगरपालिका कैथून के नाम से हटाकर अपीलान्ट के नाम खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे । रेस्पोडेन्ट को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 791 की रकबा 1.90 हैक्टर में से 05 बीघा 06 बिस्वा यानि 0.84 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहत नहीं करे और न ही अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल करे एवं न ही कोई निर्माण कार्य करें । उक्त कार्य न तो स्वयं करे और न ही अपने किसी प्रतिनिधि आदि करावें ।

16. निर्णय आज दिनांक 03.01.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा